बी.एस.एन.एल. कान्ट्रेक्ट वर्कर्स यूनियन
जिला जबलपुर
(रजि. नं. 6282)

विष्णु प्रसाद चौधरी
जिला सचिव

एस.डी.शर्मा
जिला अध्यक्ष

क्रमांक–कान्ट्रेक्ट वर्कर्स यूनियन/जबलपुर/2011–12/03 दिनांक 15.11.2011

प्रति,

वरिष्ठ महाप्रबंधक दूरसंचार
दूरसंचार जिला जबलपुर।

विषय : 72 घन्टे की हड़ताल का नोटिस।

महोदय,

बी.एस.एन.एल. जबलपुर जिला में कार्यरत ठेका मजदूरों के विषय में न तो श्रम कानूनों का पालन किया जा रहा है और न ही बी.एस.एन.एल. मुख्यालय/परिमंडल कार्यालय भोपाल से जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। इस प्रकार ठेका मजदूरों का अमानवीय शोषण हो रहा है तथा उन्हें और उनके परिवार को बहुत ही दयनीय जीवन जीने के लिये मजबूर कर दिया गया है।

इसलिये दिनांक 16.10.2011 को सम्पन्न सम्मेलन में लिये गये निर्णय के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि, यदि दिनांक 18.12.2011 तक निम्न वर्णित मांगो का समाधान नहीं किया जाता है तो दिनांक 19.12.2011 से दिनांक 21.12.2011 तक जी.एम.टी.डी. जबलपुर के अधिकार क्षेत्र में कार्यरत ठेका मजदूर 72 घन्टे की कामबन्द हड़ताल पर चले जायेगें, जिसकी सम्पूर्ण जबावदारी मुख्य नियोक्ता होने के कारण, जी.एम.टी.डी. जबलपुर की होगी।

13 सूत्रीय मांग पत्र –

1. ठेका मजदूरों को ~~मध्यप्रदेश~~ केन्द्र शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का पेमेंट किया जावे।
2. मजदूरी का भुगतान चेक के द्वारा किया जावे।
3. श्रम कानूनों के अनुसार ई.पी.एफ. ई.एस.आई. एवं अन्य सुरक्षा लाभ प्रदान करना सुनिश्चित किया जावे।
4. ठेकेदार बदलने या किसी अन्य ठेकेदार को टेण्डर प्राप्त होने की स्थिति में भी उस कार्य में लगे हुए ठेका मजदूर यथावत बने रहे।
5. सवैतनिक साप्ताहिक अवकाश दिया जावे।
6. श्रम कानूनो के प्रावधानो के अनुसार ठेका मजदूरों के कार्य आदि का सम्पूर्ण रिकार्ड बनाया जावे। जो कार्यस्थल या कार्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जावे।
7. फोटोयुक्त पहिचान पत्र प्रत्येक ठेका मजदूर को दिया जावे।
8. ठेके पर कार्य करने वाली महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश देना सुनिश्चित किया जावे।
9. प्रत्येक ठेका मजूदर को न्यूनतम बोनस का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।
10. ठेका मजदूरों को बी.एस.एन.एल. में काम करने वाले नियमित मजदूरों की तरह टॉबिल, साबुन एंव अन्य सामान उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जावे।
11. सभी श्रम कानूनो का परिपालन सुनिश्चित किया जावे।
12. मुख्य नियोक्ता की जिम्मेदारी में श्रम कानूनो के परिपालन के लिए प्रत्येक ईकाई एवं एस.एस.ए. में एक अधिकारी को जिम्मेदार नियुक्त किया जावे।
13. ठेका मजदूरों से आठ घन्टे के कार्य दिवस के पश्चात् अतिरिक्त कार्य करने पर ओवर टाईम भत्ता प्रदान किया जावे।

कृपया इस नोटिस की पावती दें।

धन्यवाद

Received on 16/11/2011

For .... Jabalpur

आपका आभारी
(हस्ताक्षर)
(विष्णु प्रसाद चौधरी)
जिला सचिव
बी.एस.एन.एल. कान्ट्रेक्ट वर्कर्स यूनियन जबलपुर

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य महाप्रबंधक, दूरसंचार भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. साथी एस.आर.नायक, परिमंडल सचिव, बी.एस.एन.एल.ई.यू. एवं कार्यवाहक अध्यक्ष बी.एस.एन.एल. कांट्रेक्ट वर्कर्स यूनियन मध्यप्रदेश।
3. साथी एस.डी.शर्मा, जिला अध्यक्ष, बी.एस.एन.एल. कांट्रेक्ट वर्कर्स यूनियन।
4. साथी लखन पटेल, जिला सचिव, बी.एस.एन.एल.ई.यू. जिला जबलपुर।